

प्रथम निविदा

सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित निविदा की शर्तें एवं प्रपत्र

क्रमांक/औ.प्र.सं.दुर्ग/क्रय/सु.ग.निविदा/2024-25/2025/ 656 /दुर्ग,दिनांक 25/04/2025

समय-सीमा का विवरण

1. निविदा प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि-दिनांक 25.04.2025 कार्यालयीन समय से (सिर्फ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दुर्ग की www.govtitidurg.org एवं जिला दुर्ग के एन.आई.सी. की वेबसाइट www.durgnic.in में)
2. निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि-दिनांक 15.05.2025 समय दोपहर 12:00 बजे तक
3. निविदा जमा करने की प्रारंभिक तिथि-दिनांक 25.04.2025 कार्यालयीन समय से
4. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि-दिनांक 15.05.2025 समय दोपहर 01:00 बजे तक
5. निविदा जमा करने का स्थान- कार्यालय प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, पिन कोड-491001
6. खोलने की तिथि-दिनांक 15.05.2025 समय दोपहर 02:00 बजे

निविदा हेतु फीस का विवरण

1. निविदा शुल्क रु. 1500.00 (अक्षरी-एक हजार पांच सौ रुपये मात्र) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में।
2. अमानत राशि (ईएमडी) रु. 20000.00 (अक्षरी- बीस हजार रुपये मात्र) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में।
3. सिक्युरिटी डिपॉजिट रु. 60000.00 (अक्षरी- साठ हजार रुपये मात्र) प्रति संस्था, फिक्स्ड डिपॉजिट या बैंक गारंटी के रूप में।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नाम जहां सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता है

क्र.	संस्था का नाम
01	शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दुर्ग

टीप:- सुरक्षा गार्ड आवश्यकतानुसार रखे जायेंगे।

निविदा शुल्क

1. निविदा शुल्क रू.1500.00 (अक्षरी-एक हजार पांच सौ रुपये मात्र) होगी।
2. निविदा शुल्क बैंक (परिशिष्ट-1 में उल्लेखित) द्वारा जारी "Principal Industrial Training Institute Durg Distt. Durg" के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में देय होगा। (चेक या कोई अन्य माध्यम स्वीकार्य नहीं होगा)
3. निविदा निरस्त अथवा अस्वीकृत होने पर निविदा शुल्क राशि रू.1500.00 (अक्षरी- एक हजार पांच सौ रुपये मात्र) वापस नहीं होगी।

अमानत राशि (ईएमडी)

1. EMD की राशि रू. 20000.00 (अक्षरी- बीस हजार रुपये मात्र) होगी।
2. अमानत राशि (ईएमडी) बैंक (परिशिष्ट-1 में उल्लेखित) द्वारा जारी "Principal Industrial Training Institute Durg Distt. - Durg" के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में देय होगा। (चेक या कोई अन्य माध्यम स्वीकार्य नहीं होगा)
3. सफल निविदाकार की अमानत राशि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग (छ0ग0) में निविदा अवधि पूर्ण होने तक जमा रहेगी, निविदा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने एवं कोई भी अदाएगी शेष न रहने पर वापस की जावेगी। शेष असफल निविदाकर्ताओं की निविदा अमानत राशि (ईएमडी) रू. 20000.00 (अक्षरी- बीस हजार रुपये मात्र) निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के 45 दिन के भीतर ब्याज मुक्त लौटाई जावेगी।
4. सफल निविदाकार सुरक्षा गार्ड एजेंसी के द्वारा सिक्युरिटी डिपॉजिट निर्धारित समय में जमा नहीं करने की स्थिति में निविदा अमानत राशि (ईएमडी) राजसात कर ली जायेगी तथा पुनः नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
5. निविदा शुल्क रू.1500.00 (अक्षरी- एक हजार पांच सौ रुपये मात्र) एवं निविदा अमानत राशि (ईएमडी) रू. 20000.00 (अक्षरी- बीस हजार रुपये मात्र) अलग-अलग होना चाहिये, एक ही ड्राफ्ट में नहीं होना चाहिये अर्थात 21500.00 (अक्षरी- इक्कीस हजार पांच सौ रुपये मात्र) का नहीं होना चाहिये।
6. ईएमडी वापस करने की जवाबदारी स्वयं निविदाकार की होगी।

निविदा की समयवधि

अनुबंध के अनुसार निविदा 11 माह के लिए मान्य होगी। निविदा काल अनुबंध दिनांक से ग्यारह माह के लिए प्रमादी होगा तथा कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर, एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर संस्था की सुरक्षा गार्ड रखने के लिये बनाये गये तत्कालीन समिति की अनुशंसा पर सुरक्षा व्यवस्था की निविदा आगामी वर्ष के लिए, फर्म के आवेदन पर बढ़ाई जा सकेगी। किन्तु बड़े हुए वर्ष हेतु निविदा पूर्व अनुबंधित निविदा दर में अधिकतम 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मान्य हो सकती है (यदि पूर्व अनुबंधित निविदा दर तत्कालीन प्रचलित कलेक्टर दर ना हो उस स्थिति में नवीन प्रचलित कलेक्टर दर मान्य किया जावेगा)। परन्तु निविदा की कुल अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं की जा सकेगी। दर में वृद्धि करने या नहीं करने का अधिकार नोडल/प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दुर्ग के पास स्वतंत्र रहेगा।

सिक्थुरिटी डिपॉजिट

1. सफल निविदाकार सुरक्षा गार्ड एजेंसी के द्वारा निविदा (फाईनैशियल बिड) खुलने की तिथि
2. से 15 दिवस के अंदर सिक्थुरिटी डिपॉजिट जमा करना अनिवार्य है।
3. सफल निविदाकार सुरक्षा गार्ड एजेंसी के द्वारा सिक्थुरिटी डिपॉजिट निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं करने की स्थिति में अमानत राशि (ईएमडी) राजसूत कर ली जावेगी तथा पुनः नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
4. सफल निविदाकार सुरक्षा गार्ड एजेंसी को सिक्थुरिटी डिपॉजिट की राशि (फिक्सड डिपॉजिट के रूप में) संबंधित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के डी.डी.ओ. शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में जमा करना होगा।

निविदा का प्रारूप एवं प्रस्तुति विधि

1. निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र को अच्छी तरह से पढ़ने के उपरंत स्पष्ट शब्दों में पेन से भरा जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक पृष्ठ एवं प्रस्तुत अभिलेख पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं फर्म की सील लगी होनी चाहिए। निविदा प्रपत्र में कोई सुधार (Correction/Overwriting) मान्य नहीं किया जाएगा। यदि सुधार करना आवश्यक हो तो स्पष्ट रूप से पुनः लिखकर अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करना होगा।
2. निविदा चार पृथक-पृथक लिफाफे में अर्थात् प्रथम लिफाफे में निविदा शुल्क रु. 1500.00 (अक्षरी-एक हजार पांच सौ रुपये मात्र) डिमांड ड्रॉप्ट के रूप, द्वितीय लिफाफे में अग्रिम अमानत राशि (EMD) का डिमांड ड्रॉप्ट रु. 20000.00 (अक्षरी- बीस हजार रुपये मात्र), तृतीय लिफाफे में तकनीकी निविदा (Technical Bid) संबंधित दस्तावेज तथा चतुर्थ लिफाफे में वित्तीय निविदा से संबंधित दस्तावेज हो। उक्त लिफाफों के ऊपर संबंधित विषय, यथा, (1) निविदा शुल्क वाला लिफाफा (2) अग्रिम अमानत राशि (EMD) वाला लिफाफा, (3) तकनीकी निविदा (Technical Bid) वाला लिफाफा, (4) वित्तीय निविदा वाला लिफाफा, अंकित करते हुए इन चारों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे (पांचवे लिफाफे में) जिस पर बड़े अक्षरों में "सुरक्षा गार्ड हेतु निविदा वर्ष 2025 लिखा हो, में रखकर सील बंद कर स्पष्ट अक्षरों में पता "नोडल अधिकारी/प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छत्ता), पिन-491001 लिखकर भारतीय डाकघर के माध्यम से रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी गयी निविदा ही, जो निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय अथवा उसके पूर्व प्राप्त होने पर ही मान्य की जावेगी। लिफाफे के ऊपर निविदा क्रमांक एवं दिनांक अंकित करना अनिवार्य होगा।
3. प्रत्येक लिफाफे पर निविदाकर्ता का नाम व पता अवश्य लिखा होना चाहिए।

निविदा प्रपत्र का विक्रय

निविदाप्रपत्र, जिला दुर्ग छ.ग. एवं आई.टी.आई. दुर्ग की अधिकृत वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। फर्म द्वारा निविदा शुल्क रु.1500.00 (अक्षरी- एक हजार पांच सौ रुपये मात्र) डिमांड ड्रॉप्ट के रूप में जमा करना होगा। सुरक्षा व्यवस्था हेतु संस्था परिसर का भौतिक निरीक्षण, कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि

निर्धारित प्रपत्र एवं संलग्नक मोहर बंद लिफाफे में जिसके ऊपर "सुरक्षा गार्ड हेतु निविदा वर्ष 2025" अंकित कर नोडल अधिकारी/प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दुर्ग (छ0ग0) के कार्यालय में दिनांक 15.05.2025 समय दोपहर 01:00 बजे तक जमा की जा सकती है। निर्धारित समयावधि पश्चात कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। डाक में होने वाले विलंब हेतु कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग (छ0ग0) के पास निविदा जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाये जाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। निविदाकार फर्म के निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ एवं संलग्नक पर हस्ताक्षर एवं सील अंकित होना आवश्यक है तथा निविदा स्पष्ट एवं सुवाच्य होनी चाहिए। कांट-छांट की गई एवं अपूर्ण निविदा अस्वीकृत की जा सकेगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का होगा।

निविदा का परीक्षण एवं चयन

1. विज्ञापित निविदा परीक्षण चार स्तरीय होगी। जो क्रमशः निविदा शुल्क का लिफाफा, निविदा अमानत राशि का लिफाफा, तकनीकी निविदा का लिफाफा एवं वित्तीय निविदा दर का लिफाफा को खोलकर की जावेगी।
2. सर्वप्रथम (प्रथमतः) जिन निविदाकर्ताओं की निर्धारित निविदा शुल्क प्राप्त होगी, उन्हीं फर्म की अमानत राशि का लिफाफा खोलने के लिए योग्य माना जावेगा।
3. तत्पश्चात् (द्वितीयतः) जिन निविदाकर्ता फर्मों से अमानत राशि प्राप्त होगी, उन्हीं फर्म की तकनीकी निविदायें खोलने के लिए योग्य माना जावेगा। जिन निविदाकर्ताओं द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं राशि की अमानत राशि जमा नहीं की जावेगी उन्हें अयोग्य मानकर, उनके द्वारा जमा शेष निविदायें (जैसे तकनीकी एवं वित्तीय निविदा की लिफाफे) यथावत जमा कर लिए जावेंगे।
4. तत्पश्चात् (तृतीयतः) जो निविदाकर्ता फर्म, तकनीकी निविदा में सफल हुए होंगे, उन्हीं निविदाकर्ताओं की वित्तीय निविदाएँ खोली जाएगी। सुरक्षा गार्ड रखने के लिये बनाये गये समिति के सदस्यों द्वारा सभी निविदाओं का सूक्ष्म परीक्षण किया जाएगा तथा चाहे गए सभी अभिलेखों के विश्लेषण के आधार पर निविदाकर्ता फर्म को तकनीकी निविदा में अर्ह पायी गई निविदा को तकनीकी निविदा में सफल माना जाएगा। जो निविदाकर्ता तकनीकी निविदा में असफल होंगे, उनकी वित्तीय निविदायें नहीं खोली जावेगी तथा उन्हें निरस्त करते हुए यथावत जमा कर लिया जावेगा।
5. अंत में (चतुर्थतः) तकनीकी निविदा में सफल होने वाले निविदाकर्ताओं के वित्तीय निविदायें खोली जाएंगी एवं उनका विश्लेषण कर अर्ह पायी गई वित्तीय निविदाओं में से जिन निविदाकर्ता की वित्तीय निविदा दर न्यूनतम होगी, उन्हें चयनित किया जावेगा।
6. यदि एक से अधिक निविदाकर्ता की दरें बराबर होंगी तो उस स्थिति में जिस निविदाकार को शिक्षण संस्था में सुरक्षा व्यवस्था का कार्यानुभव अधिक होगा उसे प्राथमिकता दी जावेगी।
7. किसी भी स्तर में निविदा के असफल होने का संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं निविदाकर्ता फर्म की होगी।

8. नोडल अधिकारी/प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दुर्ग (छ0ग0) को अधिकार होगा कि वह न्यूनतम/ अधिकतम दर वाली फर्म को यदि वह उचित समझता है तो बिना किसी कारण बताये स्वीकृत/ अस्वीकृत कर सकेगा तथा इस संबंध में नोडल अधिकारी/प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दुर्ग (छ0ग0) का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। निविदा में उल्लेखित कार्यक्षेत्र में यंगर सूचना के किसी भी समय परिवर्तन करने या निविदा निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दुर्ग (छ0ग0) के पास सुरक्षित है।
9. उपरोक्त समस्त बिन्दु सभी निविदाकर्ताओं को अनिवार्यतः लागू एवं मान्य होंगे।

संस्था से अनुबंध की शर्तें

1. सफल/चयनित निविदाकार सुरक्षा गार्ड एजेंसी को निविदा में उल्लेखित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जिला दुर्ग के प्राचार्य/संस्था प्रमुख (अनुबंधकर्ता) के साथ रु 100.00 मात्र (अक्षरी-सौ रुपये मात्र) के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा। जिसका व्यय निविदाकर्ता को स्वयं वहन करना होगा।
2. अनुबंध ग्यारह माह के लिए होगा एवं यदि आवश्यक हो तो अनुबंध का नवीनीकरण नोडल अधिकारी/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दुर्ग के द्वारा ही संपादित किया जावेगा।
3. सुरक्षा एजेंसी के द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं किये जाने पर या शिकायतें प्राप्त होने पर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार नोडल अधिकारी/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दुर्ग को होगा, जो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

पात्रता की शर्तें

1. निविदाकर्ता छत्तीसगढ़ राज्य आचारित होना चाहिए तथा उनका छत्तीसगढ़ राज्य में एक स्थापित कार्यालय पर्याप्त 'कर्मचारियों' के सहित अपना व्यवसाय संचालित होना चाहिए। निविदाकर्ता का कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत होना अनिवार्य है। (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
2. उन्हीं एजेंसी अथवा निविदाकार की निविदा मान्य की जावेगी, जो निम्नानुसार पात्रता रखते हों-
 - (अ) जिसने शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्थान में न्यूनतम 03 वर्ष का सुरक्षा संबंधित कार्य किया हो तथा किसी एक कार्यदेश की न्यूनतम क्षमता 50 सुरक्षा कर्मी की हो। (साक्ष्य हेतु दस्तावेज संलग्न करें)
 - (ब) एजेंसी की वार्षिक टर्न ओवर पिछले 03 वर्षों में न्यूनतम 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष का हो। (सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें) (परिशिष्ट - 02)
3. निविदाकर्ता को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा Private Security Agencies (Regulation) Act (PSARA) का जीवित लाइसेंस होना अनिवार्य है एवं (PSARA) लाइसेंस की वैधता कम से कम आगामी 03 वर्ष का होना चाहिए। (प्रमाण हेतु सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
4. निविदाकर्ता को Employees Provident Fund (EPF) के प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होना चाहिए तथा वैध भविष्य निधि पंजीकरण संख्या होना चाहिए। (प्रमाण हेतु सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)



5. निविदाकर्ता को ESIC प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होना चाहिए तथा वैध ESA पंजीकरण संख्या होना चाहिए। (प्रमाण हेतु सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
6. निविदाकर्ता के पास वैध GST पंजीकरण संख्या होना अनिवार्य है। (प्रमाण हेतु सत्यापित प्रति संलग्न करें)
7. निविदाकर्ता का पिछले 03 वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24) का न्यूनतम वार्षिक टर्न-ओवर 20 लाख रुपये का होना चाहिए (CA से प्रमाणित ऑडिट बैलेंस शीट संलग्न करें)
8. निविदाकर्ता को 31/03/2025 को छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम 50 सुरक्षा गार्ड कार्य पर होना चाहिए। (प्रमाण में कार्यदेशों की छायाप्रति संलग्न करें)
9. उन निविदाकर्ताओं के निविदा को मान्य नहीं किया जाएगा जिनके रक्तसंबंधी (Blood Relation)/मित्र इस संस्था में कार्य कर रहे हो। (निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट-3 में गैर संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
10. निविदाकर्ता को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है-
 - (अ) सुरक्षा एजेंसी द्वारा संस्था हेतु नियुक्त प्रत्येक सुरक्षागार्ड के EPF एवं ESIC प्रत्येक माह जमा कर उसकी छायाप्रति आगामी माह के सुरक्षागार्डों के बिल के साथ संलग्न कर कार्यालय में प्रस्तुत करने पर ही देयक भुगतान की कार्यवाही की जावेगी तथा इससे संबंधित मूल दस्तावेज सुरक्षित रखने की समस्त जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसी की होगी एवं मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 - (ब) सुरक्षा गार्ड हेतु शासन द्वारा निर्धारित मद में बजट उपलब्ध होने पर ही सुरक्षा एजेंसी को भुगतान किया जाएगा।
 - (द) सुरक्षा एजेंसी को प्रत्येक माह प्रत्येक सुरक्षागार्ड को शासन द्वारा निर्धारित दर से भुगतान करना अनिवार्य है।
 - (स) सुरक्षा एजेंसी द्वारा संस्था में नियुक्त सुरक्षा गार्ड के छुट्टी पर होने अथवा अनुपस्थित होने की स्थिति में सुरक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी। ऐसा नहीं करते पाए जाने पर संबंधित सुरक्षा एजेंसी पर यदि जुर्माना लगाया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।
11. एजेंसी द्वारा संस्था पर नियुक्त किये जाने वाले सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षित श्रमिक होना अनिवार्य है।
12. निविदाकर्ता को कभी भी किसी भी शासकीय विभाग/अर्धशासकीय विभाग/संवैधिकन्यायालय/सार्वजनिक उपक्रम या किसी भी विधि न्यायालय द्वारा ब्लैकलिस्टेड किया नहीं होना चाहिए। (ब्लैकलिस्टेड नहीं होने का प्रमाण पत्र परिशिष्ट-4 में संलग्न करें)
13. जिन निविदाकर्ता को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग द्वारा फर्जी दस्तावेज होने के कारण पहले प्रतिबंधित किया गया है वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।

निविदा की विशेष शर्तें

1. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। डाक में होने वाले विलंब के लिए नोडल अधिकारी/प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग जवाबदेह नहीं होगा।
2. निविदा खोलने की निर्धारित तिथि एवं समय पर निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत



3. प्रतिनिधि, लिखित प्राधिकार होने पर उपस्थित रह सकते हैं।
4. आवश्यकतानुसार निविदाकर्ताओं से निगोशिएशन कर दरें एवं अन्य शर्तों के समस्त अधिकार नोडल अधिकारी/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग के पास सुरक्षित हैं।
5. सफल निविदाकर्ता के अलावा अन्य निविदाकर्ताओं को उनकी अमानत राशि (EMD) रु 20000.00 (अक्षरी- बीस हजार रुपये मात्र) निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के 45 दिन के भीतर ब्याज मुक्त लौटाई जावेगी।
6. यदि एक बार सफल निविदाकर्ता को कार्यालय नोडल अधिकारी/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.) द्वारा सुरक्षा ठेके का प्रस्ताव दिया जाता है एवं संबंधित निविदाकर्ता अपनी निविदा निष्पादित कराने में असफल होता है अथवा निविदा वापस लेना चाहता है, तो ऐसी दशा में उनके द्वारा जमा की गई सिक्युरिटी डिपॉजिट कार्यालय प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.) द्वारा राजसात कर ली जावेगी तथा उसे ब्लैकलिस्टेड किया जा सकेगा।
7. निविदाकर्ता द्वारा निविदा भरी जाने की स्थिति में यह माना जाएगा कि निविदाकार को निविदा प्रपत्र की सभी शर्तें मान्य हैं। सफल निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध के पश्चात निर्धारित दिनांक से कार्य पूर्ण रूप से प्रारंभ नहीं किया जाता है तो उसकी निविदा समाप्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जाएगी एवं उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा तथा द्वितीय सफल (L-2) निविदाकर्ता से अनुबंध किया जा सकेगा। जिस पर प्रथम सफल (L-1) निविदाकर्ता को किसी भी प्रकार का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
8. निविदाकर्ता द्वारा निविदा में भरे गए दर केन्द्र एवं राज्य सरकार की वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण करना आवश्यक है।
9. सुरक्षा एजेंसी अपने कर्मचारियों (सुरक्षा गार्ड) के ईपीएफ/ईएसआईसी कटौती अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु उत्तरदायी होगी एवं इसका संपूर्ण दायित्व एवं रिकार्ड एजेंसी द्वारा स्वयं संचालित करेगी।
10. निविदाकार निविदा भरने के पूर्व स्वयं के व्यय से उल्लेखित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का अवलोकन/दौरा कर ले, जिससे भविष्य में किये जाने वाले कार्य की प्रकृति व मात्रा एवं बृहदता की जानकारी हो सके।
11. सुरक्षा एजेंसी द्वारा संस्था पर नियुक्त उनके कर्मियों (सुरक्षा-गार्ड) की आकस्मिक दुर्घटना/घन-जन- हानि/अन्य आपदा इत्यादि की स्थिति में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सुरक्षा एजेंसी अपने कर्मियों की समूह बीमा पॉलिसी की जिम्मेदारी स्वयं निर्वाह करेंगे।
12. निविदाकर्ता फर्म द्वारा सुरक्षा कार्य हेतु प्रति माह जो दर निविदा प्रपत्र में अंकित की गई हो, वह राज्य/केन्द्र शासन तथा अन्य सभी प्रकार के दायित्वों/शुल्कों को मिलाकर होनी चाहिए। उस राशि के अलावा ठेकेदार/एजेंसी को अन्य राशि भुगतान मॉगने का अधिकार नहीं होगा और न ही संस्था द्वारा निविदा दर में स्वीकृत राशि के अलावा अन्य राशि भुगतान की जावेगी।



13. एजेन्सी द्वारा सुरक्षा गार्ड हेतु जो दरें प्रस्तुत की जावेंगी, उन पर नियमानुसार टी.डी. एस. अथवा जी.एस.टी जो लागू हो कटौती की जावेगी। अतः एजेंसी अपने दरों में उक्त प्रतिशत का समावेश आवश्यक रूप से करना सुनिश्चित कर लें।
14. एजेंसी-द्वारा समस्त सुरक्षा कर्मियों का नाम, पता (स्थायी/अस्थायी) दूरभाष/मोबाइल नंबर उपलब्ध कराते हुए, पुलिस देशीकेशन स्थायी निवास के जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्र उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही कार्य पर लगाये जावे। यह उपलब्ध कराने की संपूर्ण जवाबदेही निविदाकार की होगी।
15. किसी भी दिन निर्धारित संख्या से कम सुरक्षा कर्मचारी पाये जाने पर एवं निर्धारित स्थान पर नहीं पाये जाने पर अनुपस्थित मानकर मानदेय में कटौती कर दी जावेगी, तथा इसकी बारंबार पुनरावृत्ति होने पर ठेका निरस्त कर सिव्युरिटी डिपोजिट राजसात कर ली जावेगी।
16. शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के सभी मापदंडों का पालन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग, जिला दुर्ग एवं निविदाकार के द्वारा किया जाना अनिवार्य है।
17. निविदाकर्ता अपनी किसी भी प्रकार की हानि के लिए स्वयं जवाबदार होगा।
18. निविदा की प्रस्तुत दर विवरण में न्यूनतम मानदेय दर, कार्यालय श्रमायुक्त, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा जिले लिये अनुसूचित सामान्य नियोजन के अन्तर्गत सुरक्षा गार्ड में नियोजन हेतु जारी अकुशल की प्रचलित दरें ही मान्य होगी एवं उससे कम मानदेय दर प्रस्तुत करने पर संबंधित निविदा कर्ता की वित्तीय निविदा अमान्य की जावेगी।
19. निविदाकर्ता फर्म द्वारा दी गई वित्तीय निविदा दर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। किन्तु यदि फर्म द्वारा वित्तीय दर विवरण में मानदेय दर, श्रम विभाग द्वारा स्वीकृत, अकुशल की न्यूनतम दर दी जाती है, तो उक्त वित्तीय दर, श्रम विभाग द्वारा स्वीकृत अकुशल की न्यूनतम दर के अनुसार समय समय पर परिवर्तनशील होगी।
20. सुरक्षा गार्ड आवश्यकतानुसार रखे जायेंगे।
21. सुरक्षा गार्ड हेतु शासन द्वारा निर्धारित मद में बजट उपलब्ध होने पर ही सुरक्षा एजेंसी को भुगतान किया जाएगा।

सुरक्षा ठेके की शर्तें

1. सुरक्षा ठेकेदार/एजेंसी उल्लेखित समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जिला दुर्ग, इसके सभी भवनों एवं ब्रल/अचल कार्यालयीन संपत्ति तथा संपूर्ण परिसर की दिन-रात सुरक्षा व्यवस्था करेंगे।
2. सुरक्षा ठेका सामान्यतः 11 माह की अवधि हेतु दिया जावेगा। प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग को यह अधिकार होगा कि ठेके की अवधि आवश्यकतानुसार तीन माह या अधिक समय के लिए इन्हीं स्वीकृत दर एवं शर्तों के आधार पर बढ़ाई जा सकेगी परन्तु कुल अवधि दो वर्ष से अधिक की नहीं होगी।
3. सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था लगातार राउंड दी क्लॉक (24x7) दी जावेगी एवं संभावित होने वाली घटनाओं यथा-चोरी, नुकसान एवं संपत्ति की क्षति से सुरक्षा करेगी। किसी प्रकार की घटना घटित होने पर उसकी सूचना तत्काल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग के सुरक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य को दी जानी अनिवार्य होगी। प्रकरण में अनुबंधकर्ता



4. संस्था के द्वारा नियुक्त अधिकारी/कमेटी द्वारा प्रकरण की जाँच की जाएगी। जाँच उपरान्त सुरक्षा एजेंसी को उत्तरदायी पाए जाने पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग को जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति एजेंसी एवं उसके देयको से वसूल की जाएगी। जिस हेतु एजेंसी बाध्य होगी।
5. सुरक्षा ठेकेदार एजेंसी द्वारा संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के परिसर में आने-जाने वाली समस्त प्रकार की सामग्री एवं वाहर जाने एवं अंदर आने वाले सभी वाहनों/बाहरी व्यक्तियों के रिकार्ड रखने की व्यवस्था करनी होगी।
6. सुरक्षा एजेंसी स्वयं के व्यय से उनके सुरक्षा कर्मचारियों को वर्दी, प्रोटैक्टिव गारमेंट एवं परिचय-पत्र उपलब्ध करायेगी, ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित हो। एजेंसी द्वारा नियोजित सभी सुरक्षा कर्मचारी पासपोर्ट साईज के फोटो के साथ जारी पहचान-पत्र (Identity Card) धारण करेंगे, जिसमें उनका नाम, उम्र, तथा स्थानीय पता (स्वयं का एवं अनुबंधकर्ता एजेंसी के दूरभाष/मोबाईल नंबर के साथ) दर्ज हो। उक्त पहचान-पत्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग के प्राचार्य एवं अधिकृत सुरक्षा व्यवस्थापक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित/जारी होना अनिवार्य है।
7. सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा संबंधी सामग्री की सुरक्षा के लिए आलमारी या अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था ठेकेदार/एजेंसी को स्वयं करनी होगी।
8. प्रशासन के किसी सुरक्षाकर्मी के कार्य से संतुष्ट न होने पर उसे तत्काल सेवा से हटा दिया जाना अनिवार्य होगा। ठेकेदार/एजेंसी द्वारा इस हेतु किए जाने वाले किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जावेगा।
9. सुरक्षा एजेंसी द्वारा प्रत्येक शिफ्ट में सुरक्षा कर्मचारियों के उनके लिए रखे उपस्थिति रजिस्टर में उन्हें हस्ताक्षर करने होंगे जो कि प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा जाँच किया जावेगा।
10. सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि अनाधिकृत एवं निषिद्ध व्यक्ति परिसर में प्रवेश न कर सके।
11. सुरक्षा एजेंसी द्वारा अनुबंध के उल्लंघन एवं घूक करने की दशा में संबंधित प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग को यह अधिकार होगा कि जाँच के पश्चात सही पाये जाने पर सुरक्षा ठेका निरस्त करने हेतु प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग को अनुशंसा करने ठेका निरस्त किया जाएगा एवं ऐसे प्रकरण में जमा की गई सिव्युरिटी डिपोजिट जब्त कर ली जावेगी।
12. सुरक्षा एजेंसी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नियमानुसार करेगा। अनियमित भुगतान/कम भुगतान करने की शिकायत प्राप्त होने पर जाँच उपरान्त शिकायत सही पाए जाने पर एवं एजेंसी का ठेका निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग के सुरक्षित पास होगा।
13. निविदाकर्ता फर्म को अनुबंध की शर्तों के अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था हेतु जारी संपूर्ण निविदा नियमों/शर्तों का पालन करना भी अनिवार्य एवं बंधनकारी होगा। प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग के द्वारा पृथक से नई शर्तें भी संयोजित की जा सकेंगी।
14. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से पालन करना एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए सुरक्षा एजेंसी बाध्य होगी। किसी भी स्थिति में एक ही सुरक्षाकर्मी लगातार

15. दो या तीन पालियों में कार्य नहीं करेगा। यह सुनिश्चित करने की जवाबदारी सुरक्षा एजेंसी की होगी अन्यथा एजेंसी का भुगतान रोककर उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार संबंधित प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग को होगा।
16. सुरक्षा एजेंसी डेली सिक्योरिटी रिपोर्ट तैयार करेगी एवं उस रिपोर्ट को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
17. निविदाकर्ता फर्म को सुरक्षाकर्मियों का मासिक रोस्टर माह प्रारंभ होने से पूर्व तैयार कर संस्था द्वारा नियुक्त सुरक्षा व्यवस्था के प्रनारी अधिकारी से सत्यापन कराकर, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
18. रोस्टर अनुसार सुरक्षाकर्मियों निर्धारित स्थल पर कार्य करते हुए पाए जाने चाहिए। मौक्तिक निरीक्षण के दौरान सुरक्षाकर्मियों रोस्टर अनुसार निर्धारित स्थल पर कार्य करते हुए नहीं पाए जाने अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के अन्य स्थल पर कार्य करते हुए पाए जाने पर, फर्म को कार्य के प्रति लापरवाही मानी जावेगी। जिसके दण्ड स्वरूप संस्था, फर्म के विरुद्ध अर्धशास्ति अधिसोपित करने की हकदार होगी तथा संस्था द्वारा लगाई गई अर्धशास्ति निविदाकर्ता फर्म को भरना अथवा उसके देयक से कटौती करने का अधिकार संबंधित संस्था की होगी।
19. प्रत्येक सुरक्षाकर्मियों का कार्य समय 8 घंटे होगा, कार्य समय में उसके द्वारा निर्धारित कर्तव्य स्थल की सुरक्षा करना होगा। सुरक्षा कार्य मुश्तदी से करने हेतु, सुरक्षाकर्मियों नियमित रूप से कर्तव्य स्थल का मुआयना करेंगे। एक ही स्थान पर बैठे नहीं रहेंगे।
20. सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करें कि उनके सुरक्षाकर्मियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे अपना कर्तव्य पूर्ण ईमानदारी एवं कठोर अनुशासन एवं लगन से पूर्ण करेंगे।
21. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के परिसर में धूम्रपान/मदिरापान पूर्णतः वर्जित है। यदि सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है अथवा इसे रोकने में असफल होते हैं तो संस्था को स्वविवेक से सुरक्षा एजेंसी पर जुर्माना करने का अधिकार होगा। सुरक्षा एजेंसी दोषी सुरक्षाकर्मियों को तत्काल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था की सुरक्षा सेवा से हटाना होगा।
22. किसी भी विवाद की स्थिति में प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग (छ.ग.) द्वारा किया गया निर्णय अंतिम सर्वमान्य एवं बंधनकारी होगा। इस संबंध में सुरक्षा एजेंसी को किसी भी तरह की अपील का कोई अधिकार नहीं होगा।
23. निविदाकर्ता फर्म द्वारा नियुक्त किए गए समस्त सुरक्षाकर्मियों की सूची जिसमें उनका नाम, पिता का नाम, पता, बैंक एकाउंट नं., कलर फोटो तथा मोबाईल नं. हो, प्रथम देयक के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त नियुक्त कर्मचारियों का फोटो आई.डी. उनके पुलिस चरित्र सत्यापन एवं मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा कि स्थिति में देयक का भुगतान नहीं किया जाएगा। जिसके लिए एजेंसी स्वयं जवाबदेह होगा।
24. सुरक्षा कर्मियों के कर्तव्य स्थल अथवा स्थल से बाहर दुर्घटना होने अथवा मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजा राशि आदि देने/प्रकरण निपटाने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म/सुरक्षा



- एजेंसी की होगी। इस प्रकार की किसी भी घटना से संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग का कोई संबंध/दायित्व नहीं होगा।
25. इसी प्रकार जब भी सुरक्षाकर्मियों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी की जाए अथवा पुराने सुरक्षाकर्मियों को हटकर नए सुरक्षाकर्मियों तैनात किए जाए तो कम अथवा ज्यादा होने वाले कर्मियों की सूची पूर्व उल्लेखित संलग्नकों के साथ आगामी देयक के साथ संलग्न की जाना अनिवार्य होगा।
26. कार्य प्रारंभ होने के बाद फर्म को अपना प्रतिमाह के देयक का सत्यापन जिसमें सुरक्षाकर्मियों की उपस्थिति, सुरक्षाकर्मियों के पूर्व माह के EPF/ESI जमा पावती की छायाप्रति, सुरक्षा सामग्री की उपलब्धता एवं संतोषजनक कार्य संबंधी टीप लिखे जाने वाले प्रारूप संलग्न कर, संबंधित स्थल के अधिकारी से कराना सुरक्षा एजेंसी का उत्तरदायित्व होगा, तत्पश्चात देयक संबंधित प्राचार्य कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। संबंधित अधिकारियों द्वारा असंतोष व्यक्त करने अथवा अनुपस्थिति इन्द्राज करने पर नियमानुसार प्रस्तावित राशि देयक से काट ली जावेगी।
27. मासिक देयक के साथ, सुरक्षाकर्मियों की उपस्थिति पत्रक, जिसमें उनके द्वारा किए गए कार्य की उपस्थिति हो, हस्ताक्षरित संलग्न करना अनिवार्य होगा। सुरक्षाकर्मियों को अनिवार्य रूप से दिए जाने वाले साप्ताहिक अवकाश का पालन करना, निविदाकर्ता फर्म का उत्तरदायित्व होगा।
28. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था परिसर में रात्रि में सुरक्षा कर्मी निर्धारित स्थान पर टॉर्च, लाठी, एवं सीटी से लेस होकर ड्यूटी करेंगे। सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुरक्षाकर्मियों को उक्त सामग्री उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
29. विवाद की स्थिति में दोनो पक्ष संबंधित संस्था एवं सुरक्षा एजेंसी आपस में विवाद सुलझाने का प्रयास करेंगे। उसमें असफल/अन्यथा की स्थिति में प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग का निर्णय अंतिम, दोनो पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा। समस्त वैधानिक/न्यायिक कार्यवाही के लिए न्यायिक क्षेत्र दुर्ग जिला दुर्ग होगा।
30. (अ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्रबंधन द्वारा दिये गये निर्देशों समय-सारणी एवं निर्धारित स्थल पर एजेंसी को सुरक्षा कर्मी पदस्थ करना अनिवार्य होगा। नियोजित सुरक्षाकर्मियों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। जिनकी न्यूनतम ऊंचाई 165 सेमी (बिना जूते पहने) होना चाहिए। इन सुरक्षाकर्मियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए। इनके जारी पहचान पत्र अनुबंध आरंभ होने के साथ-साथ संस्था में इन से संबंधित निम्न जानकारीयों जमा करना होगा।
1. सुरक्षा कर्मी का पूरा नाम एवं पिता का नाम।
 2. वर्तमान/स्थायी पूर्ण पता मोबाइल नं. सहित।
 3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
 4. सक्षम अधिकारी द्वारा अद्यतन जारी चरित्र प्रमाण पत्र।
 5. पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो ग्राफ।
- (ब) एजेंसी द्वारा असंतोषप्रद कार्य किये जाने पर अथवा अनुबंध की कठिनाइयों का उल्लंघन कियेजाने पर अथवा लापरवाही पूर्वक कार्य किये जाने पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रबंधन द्वारा प्रकरण के गुण-दोष को ध्यान में रखते हुए एजेंसी की सेवा तत्काल समाप्त की जायेगी तथा एजेंसी द्वारा जमा की गई सिक्युरिटी डिपॉजिट राशि को राजसात कर लिया जावेगा। प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग का निर्णय ही अंतिम, मान्य एवं बंधनकारी होगा।

प्रपत्र- तकनीकी निविदा

प्रति,

नोडल अधिकारी/ प्राचार्य,
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग,
जिला-दुर्ग (छ.ग.). पिन-491001

महोदय,

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा सुरक्षा व्यवस्था हेतु आमंत्रित की गई निविदा क्रमांक _____दुर्ग दिनांक _____ समाचार पत्रों/जिला दुर्ग की अधिकृत वेबसाईट में अपलोड हुई है। इस निविदा के संदर्भ में मेरा आवेदन प्रस्तुत है तथा मैं वचन देता हूँ कि यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं दुर्ग द्वारा इस निविदा-प्रपत्र में तथा संदर्भित निविदा विज्ञापन में उल्लेखित निर्धारित सुरक्षा ठेके की समस्त शर्तों का पालन करते हुए सुरक्षा ठेके का कार्य करने हेतु सहमत हूँ। मेरी सुरक्षा एजेंसी/मुझे वर्तमान में संबंधित क्षेत्र एवं कार्य का निम्नानुसार अनुभव है:-

कं.	विवरण	ब्यौरा
1	सुरक्षा एजेंसी का नाम	
2	सुरक्षा एजेंसी का मता	
3	यदि कोई पार्टनर हो, तो उसका नाम एवं पता यदि पंजीकृत भागीदारी फर्म है तो व्यक्तिगत जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र (PSARA) (कम से कम 03 वर्ष की वैधता) की प्रति संलग्न की जाय यदि पंजीकृत भागीदारी फर्म नहीं है, तो व्यक्तिगत भागिता-पत्र की नोटरी से सत्यापित सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जाये।	
4	निविदाकर्ता के 1. अधिकृत व्यक्ति का पूरा नाम 2. मोबाइल/लैंडलाइन नं. 3. ईमेल आईडी (यदि हो)	
5	पैन नं.(सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)	
6	GST रजिस्ट्रेशन नं. (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)	
7	ई0पी0एफ0 (EPF) रजिस्ट्रेशन नं. (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)	
8	ई0एस0आई0सी0(ESIC) रजिस्ट्रेशन नं. (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)	
9	सुरक्षा ठेके संबंधी जीवित लेबर लायसेंस का विवरण (लायसेंस के प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जाये)	
10	गोमास्ता लाइसेंस (सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जाये)	



11	पूर्व तीन वर्षों के कार्यों के अनुभव का विवरण संबंधित संस्थान के नाम, पते एवं परफॉरमेन्स रिपोर्ट सहित देवे। (अलग शीट पर विवरण संलग्न करें।) (परिशिष्ट-2)	
12	वर्तमान में कितने सुरक्षा कर्मचारी आपकी टेकनारीमें कार्यरत है। (समर्थन में पत्र / आदेश की प्रति / अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न की जावे)	
13	साल्वेसी सर्टीफिकेट (न्यूनतम बीस लाख तक प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावे)।	
14	वर्तमान संस्था जहां न्यूनतम 50 सुरक्षा कर्मचारी एक कार्यादेश के तहत कार्य कर रहे हो, उस संस्थान का नाम व पता (समर्थन में पत्र / आदेश की प्रति / अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न की जावे)	
15	एजेंसी की वार्षिक टर्म ओवर सिग्ले तीन वर्षों 2021-22, 2022-23, 2023-24 में न्यूनतम 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष (पंजीकृत C.A के सौल व हस्ताक्षर सहित ऑडिट बैलेंस शीट संलग्न करें)	
16	अमानत राशि (EMD) हेतु निधारित राशि 200000.00 (रुपये बीस हजार रुपये मात्र) की डिमांड ड्राफ्ट, जो Principal Industrial Training Institute Durg, Distt. - Durg के नाम से देय हो। (केवल डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार्य होगा)	1. डिमांड ड्राफ्ट नं. 2. डिमांड ड्राफ्ट का दिनांक 3. धनराशि (रुपयों में) 4. बैंक का नाम
17	निविदा शुल्क हेतु निधारित राशि 1500.00 (एक हजार पांच सौ रुपये मात्र) की डिमांड ड्राफ्ट, जो Principal Industrial Training Institute Durg, Distt. - Durg के नाम से देय हो। (केवल डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार्य होगा)	1. डिमांड ड्राफ्ट नं. 2. डिमांड ड्राफ्ट का दिनांक 3. धनराशि (रुपयों में) 4. बैंक का नाम

मैं आत्मज श्री घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी पूर्ण रूप से सही एवं सत्य है तथा मेरे/हमारे द्वारा कोई भी जानकारी नहीं छिपाया गया है, तथा इस तथ्य से मली-मोति अवगत हूँ कि यदि कोई भी जानकारी किसी भी समय मिथ्या या गलत पायी जाती है तो मुझे क्लैकलिस्टेड करते हुए अमानत राशि जमा करने के समस्त अधिकार प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.) के पास सुरक्षित होगा तथा इस संबंध में मुझे/हमें प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) के विरुद्ध किसी भी तरह की अपील का कोई अधिकार नहीं होगा।

स्थान:-
दिनांक:-



01. (अ) संलग्न प्रपत्र-अ सूची अनुसार प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की छायाप्रति को निविदाकार के द्वारा अपने पूर्ण हस्ताक्षर करते हुए स्वयं के द्वारा सत्यापित किया जाकर संलग्न करना अनिवार्य है। स्वयं सत्यापन के हस्ताक्षर के नीचे निविदाकार को अपना पूर्ण नाम एवं तिथि अंकित करना अनिवार्य होगा।
(ब) संलग्न प्रपत्र-अ में उल्लेखित पत्रों/अभिलेखों की संलग्न छायाप्रतियों का पृष्ठ क्रमांक का निर्धारित कालम में अनिवार्य रूप से अंकित करें।

प्रपत्र-अ

पूर्व योग्यता जाँच सूची

क्र.	विवरण	हाँ	नहीं	पृ.क्र.
1	जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र (PSARA) (कम से कम 03 वर्ष की वैधता) की प्रति			
2	पैन नं. (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)			
3	GST रजिस्ट्रेशन नं. (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)			
4	ईओपीएफो (EPF) रजिस्ट्रेशन नं. (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)			
5	ईओएसआईसी (ESIC) रजिस्ट्रेशन नं. (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)			
6	सुरक्षा ठेके संबंधी जीवित लेबर लायसेंस का विवरण (लायसेंस के प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जावे)			
7	गोभारता लाइसेंस (सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जावे)			
8	पूर्व तीन वर्षों के कार्यों के अनुभव का विवरण संबंधित संस्थान के नाम-पते एवं परफॉरमेंस रिपोर्ट सहित दें। (अलग शीट पर विवरण संलग्न करें) (परिशिष्ट-2)			
9	निविदा प्रपत्र कय का विवरण/डिमांड ड्राफ्ट संलग्न की जावे)			
10	साव्वेसी सर्टीफिकेट (न्यूनतम बीस लाख तक प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावे)।			
11	वर्तमान संस्थान जहां न्यूनतम 50 सुरक्षा कर्मचारी एक कार्यालय के तहत कार्य कर रहे हों, उस संस्थान का नाम व पता (समर्थन में पत्र/आदेश की प्रति/अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न की जावे)			
12	एजेंसी की वार्षिक टर्न ओवर पिछले तीन वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24) में न्यूनतम 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष (पंजीकृत सीए के सील व हस्ताक्षर सहित ऑडिट बैलेंस शीट संलग्न करें)			
13	अमानत राशि (EMD) हेतु निर्धारित राशि 20000.00 (बीस हजार रुपये मात्र) की डिमांड ड्राफ्ट, जो Principal Industrial Training Institute Durg, Distt. Durg के नाम से देय हो।			
14	निविदा शुल्क हेतु निर्धारित राशि 1500.00 (एक हजार पांच सौ रुपये मात्र) की डिमांड ड्राफ्ट, जो Principal Industrial Training Institute Durg, Distt. Durg के नाम से देय हो।			
15	नौर सख होने का प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-3)			
16	बैंक बिलिस्टेड नहीं होने का प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-4)			
17	घोषणा पत्र (100 रु. के स्टाम्प पर घोषणा पत्र नोटरी कर संलग्न करना अनिवार्य है) (परिशिष्ट-5)			

दिनांक:-
निविदाकार के हस्ताक्षर
सील सहित
नाम-
पता-

प्रपत्र- वित्तीय निविदा

वित्तीय निविदा प्रपत्र

प्रति,

नोडल अधिकारी/ प्राचार्य,
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दुर्ग
जिला दुर्ग (छ.ग.ग.)
पिन कोड-491001

महोदय,

आपके द्वारा उल्लेखित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दुर्ग परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा क्रमांक _____ दिनांक _____ के अनुसार समायोजन पत्रों/ जिला दुर्ग की अधिकृत वेबसाईट में अपलोड निविदा प्रसारण/ जारी किया गया है। जिस हेतु मेरे/ हमारे द्वारा नियमानुसार दरे प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तुत दरे सभी प्रकार के शुल्क/ टैक्स सहित हैं। जो निम्नानुसार हैं:-

निविदा में उल्लेखित संस्था परिसर की संपूर्ण चाल/ अबल संपत्ति की सुरक्षा व्यवस्था हेतु वित्तीय निविदा दर पत्रक जिसमें सुरक्षाकर्मी, संपूर्ण सुरक्षा सामग्री एवं समस्त कर तथा दायित्वों की राशि संयोजित कर ली गई है।

क्र.	सुरक्षा कर्मियों का पदनाम	प्रस्तुत दर प्रतिमाह के लिये	प्रस्तुत दर का विवरण
01.	सुरक्षा गार्ड (प्रति गार्ड प्रतिमाह)	रु. (अंको में) _____ रु. (शब्दों में) _____ _____	मानदेय रु. _____ E.P.F. रु. _____ E.S.I.C. रु. _____ अन्य शुल्क रु. _____ कुल रु. _____
		(नियमानुसार समस्त सुविधाएं एवं शुल्क सहित)	

मेरे/ हमारे द्वारा उक्त प्रस्तुत दरे निविदा के नियम व शर्तों के अनुसार भरा गया है, जो समय-समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाये गये लेबर लॉ एवं रूल्स के अनुसार प्रदत्त सभी सुविधाओं को पालन सहित है। उक्त निविदा दर के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की राशि देयक में अधिशेषित नहीं की जावेगी।

निविदाकार के दिनांक सहित
हस्ताक्षर
निविदाकार के सील

एजेन्सी का नाम-

एजेन्सी का पता-

एजेन्सी का फोन नम्बर-

नोट :- कृपया एक मुश्त दर नियत स्थान पर ही लिखें किसी प्रकार की कांट-छांट, ओवर राइटिंग न करें। कांट-छांट, ओवर राइटिंग करने या उपरोक्त दरों के अलावा प्रपत्र में किसी अन्य प्रकार नोट/ शर्त लिखने पर निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

बैंकों की सूची

स.क.	बैंक का नाम
1.	इलाहाबाद बैंक
2.	अपेक्स बैंक
3.	एक्सिस बैंक
4.	बैंक ऑफ बडौदा
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
6.	केनरा बैंक
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
8.	छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंक
9.	कार्पोरेशन बैंक
10.	एच.डी.एफ.सी. बैंक
11.	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
12.	आई.डी.बी.आई. बैंक
13.	इंडियन बैंक
14.	इंडियन ओवरसीज बैंक
15.	इंडसहैंड बैंक
16.	कोटक मॉहिन्द्रा बैंक
17.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
18.	सिन्डीकेट बैंक
19.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
20.	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया
21.	विजया बैंक



शिक्षण संस्था / केंद्रीय / राज्य सरकार / स्वायत्त संस्थान / कार्पोरेट प्रतिष्ठान में अनुभव का विवरण

स.क.	वित्तीय वर्ष	संस्थान का नाम (पूर्ण पता दूरभाष नं. सहित)	तैनात किये गये सुरक्षाकर्मियों की संख्या
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			

विशेष: उपरोक्त किए गए कार्य का (वर्ष 2023-24 तक) संबंधित संस्था द्वारा जारी किया गया कार्य पूर्णतया प्रमाण पत्र संलग्न किया होना चाहिए। आवश्यकता हो तो अलग शीट पर विवरण संलग्न करें।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर.....
निविदाकार के सील.....
निविदाकर्ता का नाम.....

दिनांक.....



गैर संबंधी प्रमाण पत्र
(निविदाकर्ता के लेटर पेड में भरा जाए)

मैं.....आत्मन श्री..... प्रमाणित करता हूँ कि मैं/हम/हमारी एजेंसी..... तथा हमारे भागीदार/शेयर धारक/निदेशक सहित मेरे/हमारे कोई भी रक्तसंबंधी या रिश्तेदार/भिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग में पदस्थ या कार्यरत नहीं है।

यदि किसी भी समय मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो उल्लेखित प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था को बिना किसी पूर्व सूचना के बिना कारण बताए मेरे/हमारे विरुद्ध कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर.....
निविदाकार के सील.....
निविदाकर्ता का नाम.....
दिनांक.....



व्हीकलिस्टेड नहीं होने का प्रमाण पत्र
(निविदाकर्ता के लेटर हेड में भरा जाए)

मैं.....आत्मज श्री..... प्रमाणित करता हूँ कि मैं/हम/हमारी एजेंसी..... तथा हमारे भगीदार/शेयर धारक/निदेशक सहित कोई भी कभी भी किसी भी शासकीय विभाग/अर्धशासकीय विभाग/संवैधिक न्यायालय/सार्वजनिक उपक्रम या किसी भी विधि न्यायालय द्वारा व्हीकलिस्टेड नहीं किया गया है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर.....
निविदाकार के सील.....
निविदाकर्ता का नाम.....
दिनांक.....

(100.00 रु. के स्टाम्प पर घोषणा पत्र नोटरी कर संलग्न करना अनिवार्य है)

घोषणा पत्र

मैं, पुत्र श्री उम्र

(निविदाकर्ता फर्म के प्रोपराईटर/संस्थापक/संचालक का नाम/) फर्म

पता

शपथ पूर्वक सत्य घोषणा करता हूँ कि मैंने पूर्ण होश एवं ध्यान से निविदा प्रपत्र एवं निविदा प्रपत्र की शर्तें पूर्णतः पढ़ ली हैं तथा मुझे सभी शर्तें पूर्णतः मंजूर हैं तथा मेरे द्वारा दी गई जानकारी/संलग्नक पूर्णतः सत्य है। किसी भी प्रकार की जानकारी असत्य पाए जाने पर मेरी निविदा तत्काल निरस्त कर, वैधानिक कार्यवाही करने हेतु सहमति प्रदान करता हूँ। साथ ही हमारी फर्म को किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्थानों द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता फर्म का नाम

पता :-

मोबाईल नं. :-

गवाह हस्ताक्षर

1. पूरा नाम :-

पता :-

2. पूरा नाम :-

पता :-



पूर्व योग्यता जाँच सूची

क्र.	विवरण	हाँ	नहीं	पृ.क्र.
1	जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र (PSARA) (कम से कम 03 वर्ष की वैधता) की प्रति			
2	पैन नं.(सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)			
3	GST रजिस्ट्रेशन नं. (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)			
4	ई0पी0एफ0 (EPF) रजिस्ट्रेशन नं. (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)			
5	ई0एस0आई0सी0(ESIC) रजिस्ट्रेशन नं. (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)			
6	सुरक्षा ठेके संबंधी जीवित लेबर लायसेंस का विवरण (लायसेंस के प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जावे)			
7	गोमास्ता लाइसेंस (सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जावे)			
8	पूर्व तीन वर्षों के कार्यों के अनुभव का विवरण संबंधित संस्थान के नाम -पते एवं परफॉरमेन्स रिपोर्ट सहित दें। (अलग शीट पर विवरण संलग्न करें) (परिशिष्ट-2)			
9	निविदा प्रपत्र कय का विवरण(डिमांड ड्राफ्ट संलग्न की जावे)			
10	साल्वेसी सर्टीफिकेट (न्यूनतम दोस लाख तक प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावे)।			
11	वर्तमान संस्थान जहां न्यूनतम 50 सुरक्षा कर्मचारी एक कार्यादेश के तहत कार्य कर रहें हों, उस संस्थान का नाम व पता (समर्थन में पत्र/आदेश की प्रति/अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न की जावे)			
12	एजेंसी की वार्षिक टर्न ओवर पिछले तीन वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24) में न्यूनतम 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष।(पंजीकृत सीए के सील व हस्ताक्षर सहित ऑडिट बैलेंस शीट संलग्न करें)			
13	अमानत राशि (EMD) हेतु निधारित राशि 20000.00 (दोस हजार रुपये मात्र) की डिमांड ड्राफ्ट, जो Principal Industrial Training Institute Durg, Distt. Durg के नाम से देय हो।			
14	निविदा शुल्क हेतु निधारित राशि 1500.00 (एक हजार पांच रुपये मात्र) की डिमांड ड्राफ्ट, जो Principal Industrial Training Institute Durg, Distt. Durg के नाम से देय हो।			
15	गैर संबंध होने का प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-3)			
16	व्हाकलिटरेड नहीं होने का प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-4)			
17	घोषणा पत्र (100.00 रु. के स्टाम्प पर घोषणा पत्र नोटरी कर संलग्न करना अनिवार्य है) (परिशिष्ट-5)			

दिनांक:-
निविदाकार
सील
नाम-

